संसद के समक्ष अभिभाषण – 12 फरवरी 1968

लोक सभा	-	चौथी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. एन. संजीव रेड्डी

माननीय सदस्यगण,

नये वर्ष के इस प्रथम अधिवेशन में आप लोगों का स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

पिछला साल कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था। लगातार दूसरे साल भी देश ने अभूतपूर्व सूखे और अभाव का सामना किया। पहले के अकालों के विध्वंस को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा गौरव है कि समूचे राष्ट्र ने एकजुट होकर करोड़ों देशवासियों के जीवन पर आये भयंकर खतरे का सामना कर सफलता प्राप्त की। इस सफलता के कई विशेष कारण हैं: केन्द्र तथा राज्य सरकारों के समयोचित और महत्वपूर्ण कार्य, स्वैच्छिक संस्थाओं की निष्ठापूर्ण सेवा, मित्र राष्ट्रों की सहायता, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों की कुशलता और उनके कठिन परिश्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की अटूट हिम्मत और साहस का बल।

एक साल पहले भविष्य अन्धकारपूर्ण दिखता था लेकिन निराशा के बादल अब हटने लगे हैं। इस साल अनाज की पैदावार पिछले सभी सालों से ज्यादा होने की उम्मीद है। आमतौर पर यह अन्दाज लगाया जा रहा है कि इस साल लगभग साढ़े नौ करोड़ टन अनाज पैदा होगा जो 1966-67 की तुलना में दो करोड़ टन ज्यादा और 1964-65 से, जबकि बहुत ज्यादा अनाज पैदा हुआ था, 60 लाख टन ज्यादा होगा। पैदावार की इस वृद्धि से खाद्य स्थिति में सुधार की आशा है। फिर भी इस साल जो उपज होगी उसका बहुत अधिक हिस्सा तो सरकारी और निजी खाली गोदामों को भरने में चला

जाएगा। खाद्य स्थिति में स्थिरता लाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि नियंत्रित दाम पर सरकार की ओर से अनाज का बंटवारा जारी रखा जाए। इन्हीं उद्देश्यों के लिए सरकार अपने देश में अन्न संग्रह के लिए बराबर कोशिश कर रही है और प्रयास है कि 30 लाख टन का एक बफर स्टाक तैयार किया जाय। इन सबके लिए देश में पैदावार को बहुत अधिक गतिशील बनाने की जरूरत है। लेकिन इन सबके बावजूद बाहर से कुछ आयात करना जरूरी होगा।

यह सही है कि अच्छे मौसम की वजह से पैदावार बढ़ी है लेकिन इसमें भी कोई संदेह नहीं कि कृषि की पैदावार में जो सफलता हमें मिली है उसमें खेती के नए तरीकों का बहुत बड़ा योगदान है। 1966-67 में 50 लाख एकड़ भूमि पर अधिक उपज देने वाले बीज बोये गए थे। पिछली खरीफ की फसल में 60 लाख एकड़ भूमि पर यह बीज बोया गया था और अनुमान है कि मौजूदा रबी की फसल में 90 लाख एकड़ भूमि में यह बीज बोया गया है। कपास, जूट, ईख, तम्बाकू, मूंगफली जैसी व्यापारिक फसलों की पैदावार भी बढ़ने की आशा है। 30 लाख एकड़ से भी अधिक भूमि पर लघु सिंचाई कार्यक्रम लागू होगा। नाइट्रोजन पूरक खाद का उपयोग भी बहुत अधिक बढ़ा है और 1965-66 की तुलना में इसकी खपत इस साल लगभग दूनी हो गई है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल लगभग 3 चौथाई अधिक इलाके में पौधा संरक्षण की व्यवस्था की गयी है। खेती कें लिए उधार पर रुपये देने की व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया है। खेती संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण, खोज और विस्तार के कार्यक्रम को अमल में लाने के बारे में भी लगातार तरक्की हो रही है। खेती के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है कम से कम समय में अपने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाना।

खेतों में पैदावार बढ़ने की वजह से राष्ट्रीय आय में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। 1966-67 में जो हमारी आय थी उसमें 10.8 प्रतिशत वृद्धि की इस साल आशा है खेती की पैदावार बढ़ने की वजह से दामों का ऊपर बढ़ना भी कुछ कम हुआ है। 1966 में थोक कीमतें 16 प्रतिशत बढ़ गयी थीं किन्तु मौजूदा साल में इनकी वृद्धि 5.7 प्रतिशत हुई है। मूल्यों में स्थिरता आने के अच्छे आसार दिखाई पड़ रहे हैं फिर भी जैसा कि मैंने आपसे कहा, मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए यह जरूरी होगा कि अनाज के सरकारी वितरण की व्यवस्था कायम रहे और राजकोष, आर्थिक तथा आय संबंधी नीति पर हमारा अनुशासन बना रहे।

पिछले दो सालों में जो भयंकर सूखा पड़ा उसका असर कारखानों की पैदावार पर भी हुआ। कारखाने जो खेत की पैदावारों पर मुनहसिर थे उनको कच्चा माल पूरा नहीं मिल सका और आमदनी में कमी होने के कारण मांग भी कुछ गिर गई। कुछ पूंजी और उत्पादक माल बनाने वाले कारखानों के सामने भी कम मांग की समस्या आई चूंकि पूंजी लगाने की शक्ति में कमी हो गई थी। औद्योगिक विस्तार की गति धीमी होने की वजह से रोजगार हासिल करने में खासकर हुनरमन्द लोगों को दिक्कत हुई।

सरकार ने बाहर भेजने और देश में खपत के लिए कुछ चीजों की पैदावार बढ़ाने के लिए खास कदम उठाये हैं, इनमें कर्ज की शर्तों में ढील देना, सरकारी कारखानों द्वारा अग्रिम आर्डर देना और जो चीजें देश में बनाई जाती हैं उनको विदेशों से नहीं मंगाने की नीति शामिल है। खेती की पैदावार बढ़ने से राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उससे यह आशा की जाती है कि अगले साल औद्योगिक उत्पादन की बहुत-सी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी।

पिछले दो सालों में लागत और मूल्य के बराबर बढ़ते रहने तथा खेती की पैदावार में बहुत कमी होने के कारण हमारे निर्यात को धक्का पहुंचा। लेकिन अभी अन्न की अच्छी उपज तथा कारखानों के लिए खेती से अधिक कच्चे माल प्राप्त होने के कारण अगले साल हमारे निर्यात के बढ़ने की आशा है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के 7 महीनों में 1966-67 के इन सात महीनों की तुलना में हमारा निर्यात 5.7 प्रतिशत अधिक रहा है। इंजीनियरी के सामान बनाने वाले कारखानों के पास निर्यात के लिए काफी आर्डर मिल चुके हैं। औद्योगिक उत्पादन के बढ़ने से यह आशा की जाती है कि विदेशों के बाजारों के लिए हम अधिक चीजें बनाने में समर्थ हो सकेंगे।

तरह-तरह के सामान बनाने और उत्पादन में वृद्धि, माल बेचने की कला के विकास और क्षमता बढ़ाने के लिए उत्पादकों और निर्माताओं को सरकार बराबर सहायता देती रही है। अपने देश के उत्पादन के निर्यात को बढ़ाने और विदेशों में हमारे माल की ज्यादा मांग बढ़ाने की कोशिश हुई है। विदेश स्थित हमारे मिशनों से इसके लिए बराबर रोज-ब-रोज सम्पर्क रखा जा रहा है और द्विदेशीय करार तथा बहुपक्षीय वार्ता भी हुई है। समाजवादी देशों के साथ जो हमारे करार हुए हैं उनसे हमारे व्यापार का बराबर विस्तार होता रहेगा। कैनेडी द्वारा प्रारंभ करारों के सफलतापूर्वक समाप्त होने पर हमारे निर्यातकर्ताओं को माल भेजने के कुछ नए अवसर प्राप्त होंगे। संयुक्त अरब गणराज्य और यूगोस्लाविया के साथ जो हमारा त्रिपक्षीय आर्थिक सहयोग करार हुआ है उससे पारस्परिक व्यापार बढ़ेगा और दूसरे विकासशील देशों के साथ हमारे व्यापारिक सहयोग के विस्तार का आधार प्राप्त होगा। निर्यात का विस्तार हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य है और उसे सदा बढ़ावा दिया जाएगा।

निर्यात से अधिक आयात तथा विदेशी ऋण को चुकाने के भार, अनाज के आयात और निर्यात के लिए जो चीजें तैयार की जाती हैं, उनके लिए विदेशी माल को मंगाने के कारण हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति पिछले साल कठिन रही। विदेशी ऋण पर खर्च की समस्या को सुलझाने के सम्बन्ध में सरकार ने मित्र देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता मांगी है। इस ओर हमें कुछ हद तक सहायता प्राप्त भी हुई और चर्चा आगे चल रही है। विदेशी मुद्रा की जो राशि अपने पास थी उसमें कमी हुई इसलिए यह जरूरी हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से कुछ और अल्पकालीन सहायता ली जाए।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिक सफलतापूर्वक चलाने की किसी भी योजना के लिए अपने व्यापारिक जहाजों का विकास और बंदरगाहों की सुविधा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं—तूतीकोरिन और मंगलौर बंदरगाहों का विकास और हल्दिया गोदी का निर्माण, बंदगाहों पर जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार, हिन्दुस्तान शिपयार्ड का पुनर्गठन और आधुनिक बनाया जाना। कोचीन में सरकारी क्षेत्र द्वारा दूसरे शिपयार्ड की स्थापना की गई है जहां 66,000 डेडवेट टन के जहाजों का निर्माण हो सके और 85,000 डेडवेट टन तक के जहाजों की मरम्मत की सुविधा हो। जहां तक हमारे व्यापारिक जहाजों की भारवहन क्षमता का प्रश्न है, वह लगभग 20 लाख ग्रास रजिस्टर्ड टन तक पहुंच गयी है। सरकार ने एक ऐसे आयोग की भी स्थापना की है जो बड़े-बड़े बन्दरगाहों की आर्थिक समस्याओं पर विचार करे और उनके आधुनिक बनाये जाने के संबंध में सुझाव दे।

परिवार नियोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम की चर्चा किए बगैर वार्षिक सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं होगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम में जोरदार प्रगति हुई। देहाती और शहरी आबादी में बहुत से नए वर्गों के लोगों ने इस कार्यक्रम को स्वीकार किया। अनुमान है कि 28.50 लाख से अधिक स्त्री और पुरुष विभिन्न परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत आते हैं। अब तक किसी एक वर्ष की जो संख्या रही है, उससे यह संख्या कहीं ज्यादा है। फिर भी, वार्षिक जन्म दर को एक हजार में लगभग 40 से 25 तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इससे भी ज्यादा और लगातार कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह इरादा किया गया है कि अगले वर्ष 60 लाख अतिरिक्त स्त्री-पुरुषों को परिवार नियोजन के तरीकों और सेवाओं की परिधि में ले आया जाए। आबादी को नियंत्रित करने के कुछ अन्य उपायों पर भी सरकार विचार कर रही है।

भविष्य की ओर देखते हुए सरकार के सामने सबसे बड़ा काम अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गतिशील बनाना है। पिछले दो वर्षों में इसे जो जबर्दस्त धक्के लगे हैं, उन्हें पार कर यह अब संभल रही है। सरकार का ख्याल है कि योजना के तरीके से ही कठिनाइयां दूर हो सकती हैं और सामाजिक तथा आर्थिक विकास की दिशा में देश आगे जा सकता है।

योजना आयोग चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने में लगा हुआ है। यह योजना अब अप्रैल, 1969 से चालू होगी। इस बीच विकास संबंधी आयोजन वार्षिक योजनाओं के आधार पर होता रहा है। 1968-69 वार्षिक योजना जल्दी ही आपके सामने रखी जाएगी। सरकार और योजना कमीशन, दोनों ही स्वाभाविक रूप से इसके लिए उत्सुक हैं कि योजना समय पर तैयार हो जाए ताकि 1968-69 के बजट में उसे शामिल किया जा सके।

हमें अपनी योजनाओं को तैयार करने के लिए कई सवालों पर ध्यान देना है। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं: संसाधनों को इकट्ठा करना, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग-धंधों की क्षमता और उत्पादकता बढ़ाना और विज्ञान तथा टैक्नोलोजी का समुचित उपयोग करना। सरकारी और निजी, दोनों ही क्षेत्रों में काफी हद तक बचत किए बगैर आंतरिक संसाधनों को अच्छी तरह इकट्ठा नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा करने के लिए यह जरूरी है कि हम आत्मसंयम से काम लें और कम खर्च कर बचत करें क्योंकि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कारगर ढंग से संसाधन इकट्ठे किए जा सकें, इसके लिए सरकार कई उपायों पर विचार कर रही है जैसे कि टैक्स के कानून सरल कर दिए जाएं, टैक्स की प्रक्रिया में सुधार किया जाए और समाहरण तंत्र को समुन्नत किया जाए।

सरकारी क्षेत्र की क्षमता को फौरन बढ़ाने की आवश्यकता के प्रति सरकार सजग है। विभिन्न विशेषज्ञ संस्थाओं ने जो सलाह दी है, उसके संदर्भ में सरकार इस क्षेत्र के गठन और उसमें होने वाले कार्य की समीक्षा कर रही है। अच्छा प्रबंध, कर्मचारियों के संबंध में अधिक युक्तियुक्त और सुविचारित नीति, श्रमिकों के साथ सुधरे हुए संबंध और वरीयताओं (प्रायोरिटीज) तथा मूल्यांकनों को दृढ़ता से लागू करके प्रभावकारी तरीके से किफायत करने के संबंध में खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है।

सदस्यों को याद होगा कि संसद के पिछले अधिवेशन में उपप्रधान मंत्री ने आम बीमा को सामाजिक नियंत्रण में लाने के बारे में सरकार के निर्णय पर एक बयान दिया था। सरकार का इरादा है कि उस बयान में जो निर्णय बताए गए थे, उन पर अमल करने के लिए चालू सत्र में एक बिल पेश किया जाए।

हमारे आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और टैक्नोलोजी का प्रयोग करने को सरकार जो महत्व देती है, उसका मैंने जिक्र किया। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार की नीति यह है कि हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में, सरकारी मशीनरी और उद्योग में उत्पादक तथा रचनात्मक तालमेल हो।

समीक्षाधीन वर्ष में, थुम्बा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन औपचारिक रूप से समर्पित किया गया। केन्द्र से जो पहला रोहिणी राकेट तैयार किया गया था, उसे थुम्बा से सफलतापूर्वक छोड़ा गया। अहमदाबाद में एक्सपेरीमेंटल सैटेलाइट कम्यूनिकेशन अर्थ स्टेशन पूरा कर लिया गया है और आरवी में एक नया स्टेशन तैयार किया जाएगा। यह आशा की जाती है कि एटमी शक्ति के क्षेत्र में तारापुर का एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इस वर्ष आरंभ कर दिया जाएगा। दो और एटॉमिक पावर स्टेशन बनाए जा रहे हैं।

सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हमारा प्रशासनिक ढांचा ऐसा होना चाहिए कि वह न सिर्फ जरूरतों को ही पूरा करे बल्कि लोगों का विश्वास भी प्राप्त

करे। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रशासन सुधार आयोग की स्थापना की गई थी। उसने कई रिपोर्टें दी हैं जिनमें व्यापक रूप से लोगों ने दिलचस्पी ली है। हमारे देश में इस तरह की व्यापक जांच पहली बार की गई है। इस आयोग के सामने नागरिकों की शिकायतें दूर करने की समस्या थी और उन्होनें कुछ सिफारिशें भी की हैं। सरकार ने अब यह फैसला किया है कि एक ऐसे सांविधिक तंत्र की स्थापना की जाए जो कुप्रशासन से उत्पन्न होने वाले भ्रष्टाचार और अन्याय की कथित शिकायतों की जांच करे। इस तंत्र का अध्यक्ष होगा एक लोकपाल, जिसे केन्द्रीय मंत्रियों और सचिवों के प्रशासनिक कार्य से उत्पन्न होने वाले आरोपों की जांच करने का अधिकार प्राप्त होगा। यह लोकपाल लोकायुक्त के दर्जे के दो अन्य प्राधिकारियों के कार्य संचालन में भी तालमेल रखेगा। पहला तो मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा और दूसरा सचिवों के दर्जे से कम दर्जे के केन्द्रीय सरकारी नौकरों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। संसद के वर्तमान सत्र में इस आशय का एक बिल पेश किया जायेगा।

हमारे राष्ट्रीय जीवन के कुछ खास पहलुओं पर सरकार को निरंतर चिंता बनी रहती है। बेरोजगारी स्वाभाविक रूप से एक ऐसा विषय है जिससे परेशानी होती है और खास तौर से पढ़े-लिखे और तकनीकी विज्ञान की दृष्टि से योग्य नौजवानों की। फिर भी हमें यह समझना है कि इसके कोई सरल और अल्पकालिक समाधान नहीं हैं। हमारी आर्थिक उन्नति से रोजगार के जो संवर्द्धित अवसर प्राप्त होंगे, उनसे ही ये समस्याएं हल की जा सकती हैं क्योंकि ऐसा करने से शैक्षिक और तकनीकी संस्थाओं से निकले हुए लोगों को खपाया जा सकेगा। इसके साथ ही बढ़ती हुई जनसंख्या को भी ध्यान में रखना होगा। भविष्य में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, इसके बारे में योजना कमीशन समीक्षात्मक पुनरीक्षण कर रहा है। इस बीच, सरकार को यह पूरी आशा है कि हमारे नव युवा स्त्री और पुरुष, जो श्रम की गरिमा को पहचानते हैं, इस तरह के रोजगार के अवसरों को स्वीकार करने में नहीं हिचकिचाएंगे जो अब सुलभ हैं चाहे वे कार्य उनकी तकनीकी योग्यता के समकक्ष न बैठते हों।

हमारे समाज के अब तक के अविकसित वर्गों—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों, और पिछड़ी जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति सरकार के लिए अत्यंत रुचि और चिंता का विषय रहा है। हालांकि उनकी उन्नति के लिए बहुत कुछ किया गया है, तो भी सरकार यह जानती है कि बहुत कुछ करना बाकी है। इस लिहाज से भी हमारी इस समस्या का आखिरी उत्तर हमारी अर्थव्यवस्था के जल्दी समुन्नत होने में ही निहित है।

अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही दृष्टियों से आर्थिक उन्नति और बढ़ोतरी के विषय में हमारी सारी आशाएं इस पर निर्भर करती हैं कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सुचारू रूप से काम करें, हमारे देशवासी परिश्रम करें, उनमें आत्मानुशासन की भावना जागे, उनके श्रम से उत्पादन बढ़े और उद्योग-धंधों में शांति बनी रहे।

यह चिंता का विषय है कि विभाजक शक्तियां सिर उठाती रही हैं जिसके कारण क्षेत्र, भाषा और जाति के नाम पर झगड़े और फसाद हुए हैं। यह मामला राष्ट्र के लिए गहरी चिंता का विषय है जो दलगत संबंधों से ऊपर है। यह मानकर ही संसद के दोनों सदनों ने सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रयत्नों का स्पष्ट समर्थन किया था। देश के विभिन्न भागों में हुई बड़ी-बड़ी घटनाओं की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में जांच कमीशन की नियुक्ति से सरकार के इस दृढ़ निश्चय की झलक मिलती है कि वह अपनी भरपूर कोशिश से विध्वंसकारी शक्तियों को मिटाने के लिए तत्पर है।

यह स्वाभाविक है कि हमारे जैसे बड़े देश में कुछ न कुछ समस्याएं यहां-वहां लोगों को आंदोलित करती रहें। फिर भी, हमारे यहां एक ऐसी राजनीतिक पद्धति है जिसमें ये सारी समस्याएं लोगों के प्रतिनिधियों के समक्ष लाई जा सकती हैं और उन पर निष्पक्षता से विचार किया जा सकता है। तर्कसंगत और समझा-बुझाकर विवाद तय करना ही लोकतंत्रीय ढंग है। गली-मोहल्लों में हिंसात्मक उपद्रव लोकतंत्रात्मक पद्धति की नींव को कमजोर बनाते हैं।

सरकार के लिए यह बड़े ही खेद का विषय है कि देश के कुछ भागों में भाषा के प्रश्न को लेकर प्रदर्शन हों और कानून भंग किये जाएं। सरकार की भाषागत-नीति का प्रमुख उद्देश्य यह है कि समुदाय के तमाम वर्गों को आत्माभिव्यक्ति और सांस्कृतिक विकास के पूरे अवसर दिए जाएं। सरकार को पूरी आशा है कि भाषा के बारे में तमाम विवाद अब समाप्त कर दिए जाएं। हमारी भाषा नीति और कार्यक्रमों पर अमल करने से जो व्यावहारिक समस्याएं उठ खड़ी हों, उन पर समझ-बूझ और आपसी समझौते की भावना से विचार किये जाएं।

सरकार इस बात से आश्वस्त है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और समझ-बूझ से राष्ट्रीय हित का साधन निरंतर होता रहेगा। वह अपनी ओर से इसकी पुनः पुष्टि करती है कि वह दलगत संबंधों की परवाह किए बगैर राज्य सरकारों के साथ मिल-जुल कर काम करना चाहती है और इसके बदले में वह राज्य सरकारों से समान सहयोग की अपेक्षा करती है।

संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ और असम के विभिन्न मत वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ सलाह-मशविरा करके असम के पुनर्गठन के प्रश्न पर आम राय स्थिर करने के लिए सरकार ने बराबर कोशिश की है। उम्मीद की जाती है कि उनके सहयोग से निकट भविष्य में कोई संतोषजनक समाधान निकल आएगा।

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, स्वर्गीय मेहर चन्द्र महाजन ने मैसूर* और महाराष्ट्र तथा मैसूर*-केरल के बीच सीमा के समंजन संबंधी मसले पर अपनी रिपोर्ट पिछले अगस्त में पेश कर दी थी। सरकार का विश्वास है कि ये सीमा समस्याएं संतोषजनक

*अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है।

ढंग से सुलझ जाएंगी। हमारी सीमाओं पर बराबर जो खतरा बना हुआ है उसका मुकाबला करने के लिए हम अपनी रक्षा सेनाओं को लगातार अच्छी तरह तैयार कर रहे हैं; उन्हें साज-सामान से फिर से लैस करने और उनका आधुनिकीकरण करने का काम बराबर चल रहा है। सुलभ साधनों के अनुसार, समग्र रक्षा योजना के ही अंग के रूप में अपने वायु रक्षा के प्रबंध भी बेहतर किए गए हैं। नौसेना के आधुनिकीकरण करने और जहाजों की संख्या बढ़ाने की दिशा में भी हमने संतोषजनक प्रगति की है। रक्षा उत्पादन की दिशा में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए सरकार विशेष प्रयत्न करती रहेगी।

सीमाओं पर दो पड़ोसियों से खतरा अब भी बना हुआ है। हम उनके साथ मित्रतापूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध कायम करना चाहते हैं लेकिन अपने देश की प्रादेशिक एकता की रक्षा के लिए हम जरूरी त्याग करने के लिए तैयार हैं।

शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ-बूझ और सहयोग के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना अब भी हमारी विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य हैं। हमारे ये उद्देश्य राष्ट्रीय हित से मेल खाते हैं। सरकार का यह विश्वास है कि आज की दुनिया में सिर्फ सह-अस्तित्व का सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय शांति संभव हो सकती है।

आज दुनिया में संघर्ष और तनाव के अनेक स्रोत हैं। इनमें सबसे खतरनाक वियतनाम और पश्चिम एशिया के संघर्ष हैं। सरकार का विश्वास है कि वियतनाम का दुखद संघर्ष सिर्फ राजनीतिक तरीकों से ही हल किया जा सकता है, संगीन की नोक पर नहीं। इसलिए, सरकार का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि इस समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए सबसे पहले उत्तर वियतनाम पर बमबारी बिना शर्त बंद की जानी चाहिए। संसार के अधिकाधिक देशों की अब यही धारणा बनती जा रही है।

पश्चिम एशिया का संकट अभी तक टला नहीं है। समुचित समाधान में जितनी देर लगेगी उतनी ही यह समस्या ज्यादा पेचीदा बनती जाएगी। सुरक्षा परिषद् के एक सदस्य के रूप में हमने उन सभी प्रयत्नों का निरंतर समर्थन किया है जो इस समस्या का शीघ्र और न्यायोचित समाधान ढूंढने के लिए किए गए हैं ताकि किसी राज्य को आक्रमण से हुए लाभों को अपने पास रखने की इजाज़त न दी जा सके और इस क्षेत्र का हर एक राज्य अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्वक सुरक्षित रह सके।

हमें इस बात की खुशी है कि बर्मा*, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हैं और उनके साथ आपसी सद्भावना और सहयोग के संबंध धीरे-धीरे बराबर बढ़ रहे हैं। इन देशों के विशिष्ट नेताओं की भारत यात्रा में और प्रधानमंत्री की तथा उनके कुछ दूसरे साथियों की इन देशों की यात्राओं में यह बढ़ता हुआ सौहार्दभाव प्रतिबिम्बित हुआ है।

*अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है।

यह बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे संबंध अब भी असंतोषजनक बने हुए हैं। हमने सोचा था कि सत्यनिष्ठ ताशकंद घोषणा से पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण और सहयोग के संबंध विकसित करने का आधार मिल जायेगा। सरकार ने अनेक प्रकार से एक-दूसरे से जुड़े दो पड़ोसी देशों के अनुरूप संबंधों को सामान्य करने की सच्चे हृदय से कोशिश की है। आपसी संपर्कों को फिर से जोड़ने, टूटे हुए संचार सूत्रों को पूरी तरह फिर से स्थापित करने और व्यापार तथा वाणिज्य को फिर से चालू करने से दूसरे मसलों पर विचार करने में सहूलियत होगी। हम आशा करते हैं और हमारा विश्वास है कि बुद्धिमानी और राजनीतिज्ञता से काम लिया जाएगा जिससे कि दोनों देशों के करोड़ों नागरिकों के फायदे के लिए और इस क्षेत्र की शांति और समरसता के हित में मित्रता और समझ-बूझ का ताना-बाना धीरे-धीरे तैयार हो जाए।

जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों का प्रश्न है हमेशा हमने उनका भला चाहा है, हमारे लिए चीन से इतनी उम्मीद रखना बड़ा स्वाभाविक है कि अपनी घरेलू और विदेशी नीतियों पर अपनी मर्जी के अनुसार चलने के हमारे अधिकार का वह सम्मान करेगा। परस्पर सम्मान, अनाक्रमण और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों के अंतर्गत ही अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का स्थायी आधार मिल सकता है। हम इन सिद्धांतों पर चीन के साथ अपने संबंध स्थापित करने को हमेशा तैयार हैं।

हमारे देश के लोगों को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाने के आन्दोलन में सबसे आगे रहने का गौरव प्राप्त है। हमने जातीय भेदभाव और दमन की घिनौनी प्रथा समाप्त करने का भी समर्थन किया है। हम दक्षिण रोडेशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पुर्तगाली उपनिवेशों के दमित लोगों को स्वतंत्रता और मुक्ति दिलाने के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहेंगे। जो लोग रंगभेद की बर्बर नीति के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हमारा समर्थन बराबर मिलता रहेगा।

अफ्रीका के स्वतंत्र और प्रभुसत्ता प्राप्त राज्यों के साथ हमारे संबंध बहुपक्षीय हो गए हैं। इनमें से कई देशों के साथ हम आर्थिक, तकनीकी और शिक्षा के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।

यह बड़े संतोष की बात है कि यूरोप में तनाव कम करने की प्रक्रिया बराबर चल रही है। यूरोपीय राष्ट्रों के साथ खुद हमारे संबंध संतोषजनक रूप से बढ़ रहे हैं चाहे इन देशों की राजनीतिक व्यवस्था और सिद्धांत कैसे भी क्यों न हों। वे आर्थिक प्रगति के हमारे प्रयत्नों में तरह-तरह से हाथ बंटा रहे हैं और इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम उनके साथ व्यापार और आर्थिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए बराबर काम करते रहेंगे। सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ और यूगोस्लाविया के साथ हमारे सौहार्द और मित्रतापूर्ण संबंध राष्ट्रपति टीटो और अध्यक्ष कोसीगिन की यात्राओं में प्रतिबिम्बित हुए हैं जिनके स्वागत करने की खुशी हाल ही में मिली है। सोवियत समाजवादी गणतंत्र

संघ से हमें बहुमूल्य सहायता मिली है जिसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं, और हमें पक्का विश्वास है कि चूंकि हम दोनों शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के हिमायती हैं इसलिए हमारे संबंध निरन्तर बढ़ते ही जाएंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका हमें काफी मात्रा में बहुमूल्य आर्थिक और अनाज की सहायता बराबर दे रहा है जिससे कि विगत में हमें अपनी मुश्किलें आसान करने में सहायता मिली है और जिससे भविष्य में हमें अपनी अर्थव्यवस्था विकसित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने जो सद्‌भावना दिखाई है और जो सहायता दी है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। यह खुशी की बात है कि अमरीकी महाद्वीप के देशों के साथ हमारी कोई विशेष समस्या नहीं है और उनके साथ हमारे दो तरफा संबंध मित्रता के हैं।

आस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मन संघीय गणराज्य, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन और दूसरे मित्र देशों ने हमें जो आर्थिक सहायता दी है उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ हमारे संबंध संतोषजनक नीति से विकसित हो रहे हैं और हम उनके साथ अपने संबंधों को विशेषकर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सुदृढ़ करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बहुत से देश भारत की मित्रता का सम्मान करते हैं, यह उन यात्राओं से प्रकट है कि बहुत से राज्यों के अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष तथा विदेशों के अन्य नेतागण भारत की यात्रा पर आएं।

हमें इस बात की खुशी है कि हम दूसरे संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के मेजबान हैं। आशा की जाती है कि यह सम्मेलन इस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ती हुई आर्थिक खाई को पाटने के लिए कोई ठोस प्रोग्राम देने में सफल होगा। सरकार को इस बात का पक्का विश्वास है कि आज दुनिया के देशों में अमीरी और गरीबी का जो अन्तर है, वही अस्थिरता और तनाव का प्रमुख कारण बना हुआ है और यह शांति और सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है।

घरेलू और विदेशी मामलों का यह विहंगावलोकन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि विधान संबंधी एवं उन अन्य कार्यों का उल्लेख न किया जाए जो कि आपके सामने आएंगे।

आगामी 1968-69 के वर्ष के लिए भारत सरकार की आय-व्यय के अनुमान शीघ्र ही आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

सरकार चालू अधिवेशन में निम्नलिखित वैधानिक कार्य संसद के सामने लाना चाहती है:–

(1) कम्पनी (संशोधन) बिल, 1968

(2) सशस्त्र सेना (विशेष अधिकार) अवस्थिति बिल, 1968

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) बिल, 1968

(4) वायदा संविदा (नियमन) (संशोधन) बिल, 1968

(5) भारतीय सीमा शुल्क दर की नाम-पद्धति को युक्तियुक्त बनाने से संबद्ध बिल।

(6) सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत रूप से कब्जा करने वालों की बेदखली) संशोधन बिल, 1968

(7) स्वर्ण नियंत्रण (संशोधन) बिल, 1968

(8) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क बिल, 1968

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का पहला) को बदलने के लिए एक बिल रखा जाएगा।

माननीय सदस्यगण, मैंने कुछ उन महत्वपूर्ण मसलों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है जो हमारे सामने हैं। सदियों बाद भारत के लोग तेजी से बदलते हुए दौर से गुजर रहे हैं। अपने देशवासियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं का जवाब देने की आज हम सबको चुनौती मिली है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए। सरकार राष्ट्रीय हित और महत्व के प्रमुख मसलों पर सभी दलों के नेताओं के साथ बैठकर विचार करने और उनकी सलाह लेने के लिए तैयार रहेगी।

माननीय सदस्यगण, आगामी वर्ष में आपको रचनात्मक परिश्रम करना होगा और इन प्रयासों में मैं आपकी सफलता की कामना करता हूं।